

2025/352


निर्णय

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सुभाषचन्द्र आदि बनाम स्टेट आदि

मुकदमा किस्म - 128 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या 34 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.05.2025	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 27.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ca'</p>	
27.5.2025	<p style="text-align: center;">  </p>	
02.6.2025	<p>वकुलाए फरिक्तेन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलवाए प्राप्त हुई। वकील वकील/अर्धी ने निवेदन किया कि अर्धी 2,3 के खिलाफ प्रार्थीगण हुए कोई अन्वेषण नहीं चाहा गया है। इसलिये उनी तल्बि बडे कि जावे जिस पर अर्धी से 2,3 पीतली बंद की गई। पत्रावली वाले बहक आइन्दा वफा 06/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ca''</p>	
06/6/25	<p>वकुलाए फरिक्तेन उपस्थित। बहक पुनी गई पत्रावली का अन्वेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व रिपोर्ट जारी के दिखल पर अर्धीगण को प्रार्थीगण खीतर किया जा रहा है। अर्धी कि अर्धी वरिष्ठ निमित्त कलकत्ता से लिखाफ जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल इलवाए हो।</p> <p style="text-align: center;">ca'</p>	